

13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई हेतु नियत है।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे।

आरोपी सहित श्री तारेन्द्र तुरकर अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी जगलोबाई उपस्थित।

प्रकरण में पूर्व पेशी दिनांक को उभयपक्ष की ओर से राजीनामा पेश किया गया है जिसे तस्दीक किया जा चुका है। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। आरोपी के विरुद्ध सभी अपराध शमनीय होने से आरोपी धरमीबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग दो के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

सदस्य

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिनिधि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)